



म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohopbl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756
CIN NO-U01119mp1969GC001055

क्र/मुख्या./उद्यान/फल-पौध/2024-25/ 4536

दिनांक - 18/3/25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय-वर्ष 2024-25 के लिए नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू) की प्रसारित की गई कय-विकय दरों की वैद्यता अवधि बढ़ाने बाबत।

- संदर्भ-1. निगम का पत्रक्रं 3103 दिनांक 02.12.2024 (प्रसारणक्रं-01)
2. निगम का पत्रक्रं 3288 दिनांक 11.12.2024 (प्रसारणक्रं-02)
3. निगम का पत्रक्रं 3355 दिनांक 18.12.2024 (प्रसारणक्रं-03)
4. निगम का पत्रक्रं 3419 दिनांक 26.12.2024 (प्रसारणक्रं-04)

निगम द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू) के प्रदाय हेतु दरों का प्रसारण किया गया था। आर.सी.ओ. के परिशिष्ट-2 की शर्त क्रं. 5 के बिंदु क्रं. 5.4 के अनुसार दरों अनुमोदित होने के उपरांत 03 माह तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिए वैद्य हैं।

निगम व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए एवं नवीन आर.सी.ओ. में लगने वाले समय के कारण पूर्व प्रसारित दरों की वैद्यता अवधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती हैं :-

क्रं.	सामग्री का विवरण	निगम दर प्रसारण पत्र क्रं./दिनांक	वैद्यता अवधि में प्रस्तावित वृद्धि
1.	नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू)	1. 3103/02.12.2024 2. 3288/11.12.2024 3. 3355/18.12.2024 4. 3419/26.12.2024	दिनांक 30.04.2025 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक वैद्य (जो भी पूर्व हो)

उपरोक्तानुसार सामग्रियों की दरें दिनांक 30.04.2025 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिये वृद्धि की जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- 4537
18-3-25
1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
 4. मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 5. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
 6. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
 7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 8. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ।
 9. mpfst.helpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंधक (उद्यान)

प्रबंधक (उद्यान)